

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
77/2025

दायर दिनांक  
06.05.2025

निर्णय दिनांक  
19.11.2025

## अनवान

1. भुरालाल पिता गिरधारी जाति खारोल आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मांगु पुत्र शंकरलाल जाति खारोल आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. माधवलाल पिता गिरधारी जाति खारोल आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रामेश्वरलाल पिता गिरधारी जाति खारोल आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्यामलाल पिता गिरधारी जाति खारोल आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

## प्रार्थीगण

1. प्रभुलाल पिता रघुनाथ जाति खारोल आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गीता पुत्री भगवानलाल जाति खारोल आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गोपीलाल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर जाति आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चान्दी पत्नी धन्ना जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. बालु पुत्र धन्ना जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. चन्दी पुत्री वेणीराम पत्नी लादुलाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन हाल रूद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
7. बाली पुत्री वेणीराम पत्नी गोवर्धन लाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी खारोला की झुपड़ियां तहसील कपासन हाल कांटी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

## अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री अभय चपलोट  
एकतरफा

प्रार्थीगण  
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खारोला की झुपड़ियां पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 65 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 45, 617/113 कुल किता 02 कुल

Page | 1

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़



रकबा 0.14 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 147 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 48 कुल किता 01 कुल रकबा 0.07 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 66 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 115, 117 कुल किता 02 कुल रकबा 1.09 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 67 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 41, 44, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.64 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 5 के विरुद्ध वावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 6, 7 के विरुद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही झॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निरतारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा खारोला की झुपडियां पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 65 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 45, 617/113 कुल किता 02 कुल रकबा 0.14 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 147 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 48 कुल किता 01 कुल रकबा 0.07 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 66 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 115, 117 कुल किता 02 कुल रकबा 1.09 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 67 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 41, 44, 50 कुल किता 03 कुल रकबा 1.64 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें।  
निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
(उपकपासन अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़